हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग

संख्याः एग्र.ए.(3)-4/2005 तारीख शिमला-2 20 जुलाई, 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में अधीक्षक ग्रेड-I ,वर्ग-I (राजपत्रित),लिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग,अधीक्षक ग्रेड-I,वर्ग-1 (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2)ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियाँ। 2. (1) अधिसूचना संख्याः एग्र0-ए(1)4/77 दिनांक 14 नवम्बर,1977 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश ऐग्रिकॅलचर डिपार्टमेन्ट क्लास -II(मिनिस्ट्रीयल सेक्शन)सर्विस (रिक्रूटमेन्ट एण्ड प्रमोशन ऑन सर्टेनअर्दस कॅण्डिशन ऑफ सर्विसिज) रूल्ज,1977 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

सचिव(कृषि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या–यथोपरि। तारीख शिमला–2, 20 जुलाई,2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त),हिमाचल प्रदेश सरकार ।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव(कार्मिक),हिमाचल प्रदेश सरकार ।
5. अतिरिक्त सचिव(सामान्य प्रशासन),हिमाचल प्रदेश सरकार ।
6. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव(विधि),हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
7. सचिव,हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला –2 को उनके पत्र संख्याः 1–6/98–पीएससी–पार्ट,दिनांक 25–11–2014 के सन्दर्भ में ।
8. नियन्त्रक ,मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश , शिमला–171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।

नरेश ठाकुर

संयुक्त सचिव(कृषि)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में अधीक्षक ,ग्रेड–I, वर्ग–I (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाऐं, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम:	अधीक्षक,ग्रेड-I
2.	पदों की संख्या:	08(आठ)
3.	वर्गीकरण:	वर्ग–I (राजपत्रित)लिपिक वर्गीय
4.	वेतनमान:	15600–39100 रुपए जमा 5400/– रुपए ग्रेड पे।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद:	अचयन।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु:	लागू नहीं।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	(क) <u>अनिवार्य अर्हता (एं)</u> : लागू नहीं। (ख) <u>वॉछनीय अर्हता</u> (एं) : लागू नहीं।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:	आयु: लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो:	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के

	लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, सीनान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा वे भर्ती की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा।	अधीक्षक गेड–II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक गेड–II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक गेड–II और वरिष्ठ सहायक के रूप में संयुक्तः नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अधीक्षक गेड–II के रूप में दो वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा :

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I:– उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II:– उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल।
3. रोहड़ू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप –मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने

प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहा उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः– अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/ प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	लागू नहीं।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	लागू नहीं।
16.	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षाः	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18.	शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों)की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

***

(Authoritative English Text of this Government Notification No.Agr-A(3)4/2005, dated 20-7-16 as required under Article 348(3) of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Agriculture.

No.Agr.A(3)4/2005, Dated Shimla-171002, the 20-7-2016.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted),Ministerial Services in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this Notification namely :-

Short title and commencement:	1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Agriculture Department, Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted)Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2016 . (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra , Himachal Pradesh .
Repeal and savings:	2.(1) The Himachal Pradesh Agriculture Department ,Class-II(Ministerial Section)Service(Recruitment and promotion on certain other conditions of Services)Rules,1977 notified vide Notification No. Agr-A(1)4/77 dated 14.11.1977 and as amended from time to time are hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By Order

Sd/-
Secretary(Agr.)to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above, dated Shimla-171002, the 20-7-2016.
Copy is forwarded to the following :-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
3. The Additonal Chief Secretary(Finance) to the Government of Himachal Pradesh.
4. The Additional Chief Secretary(Personnel) to the Government of Himachal Pradesh
5. The Additional Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh.
6. The JLR-cum-Joint Secretary(Law Opinion) to the Government of Himachal Pradesh
7. The Secretary, H.P Public Service Commission, Shimla-2 w.r.t his letter No. 1-6/98-PSC-Part -dated 25th November,2014.

Sd/-
Joint Secretary(Agr.) to the
Government of Himachal Pradesh

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT GRADE-I CLASS-I (GAZETTED) ,MINISTERIAL SERVICES,IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH.

1	Name of post	Superintendent Grade-I
2	Number of posts	08 (Eight)
3	Classification	Class-I(Gazetted)Ministerial Services
4	Scale of pay	Rs. 15600-39100+Rs.5400/-Grade Pay
5	Whether "Selection" post or "Non-Selection" post	Non-Selection
6	Age for direct recruitment	Not applicable
7	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s)	(a) Essential Qualification(s): Not applicable (b) Desirable Qualification(s): Not applicable
8	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee(s)	Age : Not applicable Educational qualification: Not applicable.
9	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10	**Method(s) of recruitment,** whether by direct recruitment or by promotion, secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.	**100% by promotion**
11	In case of recruitment by promotion, secondment/transfer, grade from which promotion/ secondment/deputation/ transfer to be made.	By promotion from amongst the Superintendents Grade-II having 03 years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion amongst the Superintendents Grade-II who possess 09 years of regular or regular combined with contiuous adhoc service, if any, as Superintendent Grade-II and Senior Assistant combined which shall also include 02 years essential service as Superintendent Grade-II; (1)Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s)available in such areas; Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation; Provided further that Officers/officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre. Explanation-I For the purpose of proviso (1) supra the "term" in 'Tribal/Difficult' areas shall mean

		normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employees. <u>Explanation-II:-</u> For the purpose of proviso (1) supra the Tribal/Difficult areas shall be as under :- 1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohroo Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Busharhar Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana Tehsil Nirmand of Kullu District. 6. Bara Bhangal Area of Baijnath Sub-Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Teshil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District. 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal Patwar Circle of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Traila, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circles of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalippar, Mangrah, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of

		Sundernagar Tehsil in Mandi District. (I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules; Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration; Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that proscribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less; Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s)junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion; <u>Explanation:-</u> The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for

		promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules. 1985 and having been given the benefit of seniority there under. (2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post. if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P Rules: Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12	If a departmental committee, exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13	Circumstances under which the HP HPSC is to be consulted in making recuirtment	As required under the law.
14	Essential requirements for a direct recruitment	Not applicable
15	Selection for appointment to post by direct recruitment	Not applicable.

16	**Reservation**	**The appointment to the service shall be subject to** orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Every member of service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rule, 1997 as amended from time to time.
18	Powers to Relax	Where the State Government, is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect of any Class or Category of person(s) or post(s).

***